



2026:AHC-LKO:12235-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं.- 1403/2026

उमा उपाध्याय

... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से
और 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: रुद्रेश पांडे, अमित त्रिपाठी, सुनील कुमार तिवारी
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., शैलेंद्र सिंह चौहान, यतींद्र पाठक

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह याचिका नई सूची में दूसरी बार सूचीबद्ध की गई है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री यतींद्र पाठक, अपर नगर आयुक्त,

नगर निगम, लखनऊ के विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने आज उनकी तरफ से वकालतनामा दाखिल किया है, उपस्थित हैं।

2. यह याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोष की माँग करते हुए दाखिल की गई है:

"(i) परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश दिया जाए कि वे भूखण्ड सं. 120 और 121, गांव सैदपुर जागीर, परगना महोना, तहसील बखशी का तलाली, जिला लखनऊ के सामने स्थित 10 फीट चौड़े सुगम मार्ग पर किए गए अवैध अतिक्रमण और अवरोध को तत्काल हटा दें, और पंजीकृत लेआउट और साइट प्लान के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके भूखण्ड तक वैध और निर्बाध पहुँच बहाल करें।"

3. सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण के संबंध में, यदि नगर निगम के पास अधिकार है, तो वह तथ्यों का सत्यापन करा सकता है और विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जहां तक याचिकाकर्ता को किसी भूखण्ड तक पहुँच बहाल करने के लिए अन्य अनुतोष की बात है, तो यह रिट क्षेत्राधिकार में विचारणीय मामला नहीं है, क्योंकि इसमें कई तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हो सकते हैं, विशेष रूप से श्री राज बक्स सिंह, जो कि विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं, को प्राप्त निर्देश के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता जिस भूखण्ड पर दावा कर रही है, उसे लेकर कुछ विवाद है, जिसे उसने किसी सहकारी



समिति से खरीदा है और उनके निर्देशानुसार, उस भूमि पर कोई सार्वजनिक सड़क उपस्थित नहीं है।

4. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

17 फरवरी 2026

अनुज सिंह